रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 अप्रैल, 1998/10 बशाख, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अप्रैल, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) (बी) (16)-2/98.—"दि हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एण्ड गुडज़ टैक्सेशन (अमैंडमेंट) एक्ट, 1991 (1991 का 8)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के तारीख 27 अप्रैल, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में

1588-राजपत्र/98-30-4-98—1,276. मूल्य : 1 रुपया।

प्रकाशित किया जाता है । और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991

(1991 का 8)

(18 अप्रैल, 1991 को राज्यपाल द्वारा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 है ।

(2) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) और धारा 4 के सिवाय, जो अक्तूबर, 1990 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी, यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) विद्यमान खण्ड (क) को (कक) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित खण्ड से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (क) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) "निर्धारण प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा कोई निर्धारण करने क लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;"

(ii) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (च) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) "मोटर गाड़ी" से कोई परिवहन गाड़ी अभिप्रेत है, जो यन्त्रनोदित और सड़क पर उपयोग के लिए अनुकूल बना ली गई है चाहे उसमें नोदन शक्ति वाह्य या आन्तरिक स्रोत अथवा ट्रेलर से, जब यह किसी ऐसी गाड़ी से संलग्न है, संचालित की जाती है और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के उपबन्धों के उल्लंघन में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए यात्रियों या सामान अथवा दोनों के वहन के लिए उपयोग की गई कोई मोटर गाड़ी इसके अन्तर्गत है ;"

(iii) खण्ड (ज) क पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (जज) अन्त:स्थापित किया जाएगा, आर्थात्:—

"(जज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;" और

(iv) खण्ड (ठ) में शब्दों, चिन्ह, अंकों और कोष्ठकों "मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)" के स्थान पर "मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" शब्द, चिन्ह, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उप-धारा (2) में अंकों "1939" के स्थान पर "1988" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (2-क) में,—

(i) चिन्ह और शब्दों "सार्वजनिक सेवा की गाड़ी से भिन्न," का लोप किया जाएगा ; और

(ii) शब्दों, चिन्ह, अंक और कोष्ठकों "मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)" के स्थान पर "मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)", शब्द, चिन्ह, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु सामान के वहन या मोटर कैब, मैक्सी कैब और स्कूटर रिक्शे की दशा में, सरकार, विहित रीति में, भाड़े या किराए पर, यथास्थिति, कर या कर तथा अधिभार के बदले में एकमुश्त राशि निर्धारित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट से भिन्न, मोटर गाड़ियों की दशा में, जिनमें यात्री वहन किए जाते हैं, राज्य सरकार, गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत धारिता और ऐसी गाड़ी को जारी किया गया अनुज्ञा पत्र के अधीन ऐसी मोटर गाड़ियों द्वारा तय की गई या की जाने वाली दूरी को ध्यान में रखते हुए, कर और अधिभार को एक मुश्त में निर्धारित कर सकेगी ।"

धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"लेखों का रख-रखाव और विवरणियों का प्रस्तुतीकरण—

(1) स्वामी ऐसा लेखा रखेगा और निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां ऐसे अन्तरालों पर, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

(2) स्वामी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणियां देने से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर और अधिभार की पूरी रकम संदत्त करेगा और संदाय का सबूत ऐसी विवरणियों के साथ संलग्न करेगा :

परन्तु जहां यात्री कर और अधिभार ग्रासंजक स्टाम्प के रूप में संदत्त किया जाता है, वहां ऐसे स्टाम्प खरीदने के लिए खजाना रसीद विवरणी के साथ संलग्न की जाएगी ।"

धारा 8 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की उप-धारा (2) में, शब्दों, चिन्ह, अंकों और कोष्ठकों "मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4)" के स्थान पर क्रमशः शब्द, चिन्ह, अंक और कोष्ठक "मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" और अंक "62" के स्थान पर, "87" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उप-धारा (3) में, अंक "1939" के स्थान पर, अंक "1988" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा ।

नई धाराओं 9-क, 9-ख और 9-ग का अन्तःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं 9-क, 9-ख और 9-ग अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"9-क. स्वामी द्वारा प्रतिभूति देना—

(1) जहां निर्धारण प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर या अधिभार की उचित वसूली के लिए, ऐसा करना आवश्यक हो, वहां यह, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, किसी स्वामी से, विहित रीति में, बीस हजार से अनधिक रकम की प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहां उप-धारा (1) क अधीन स्वामी द्वारा दी गई प्रतिभूति बन्धपत्र के रूप में है और प्रतिभू दीवालिया हो जाता है या अन्यथा अशक्त हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है या वह प्रत्याहृत करता है, वहां स्वामी पूर्वोक्त किसी घटना के घटित होने के पन्द्रह दिन के भीतर, निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी घटना के तीस दिन के भीतर एक नया बन्धपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(3) निर्धारण प्राधिकारी, अच्छे और पर्याप्त कारण पर लिखित आदेश द्वारा और स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदेय कर या शास्ति की किसी रकम की वसूली के लिए स्वामी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगा ।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन किसी आदेश के कारण, किसी स्वामी द्वारा दी गई प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाती है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, कमी को पूरा करेगा जो विहित किया जाए ।

(5) यदि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिक देर तक रोके रखना अपेक्षित नहीं है तो निर्धारण प्राधिकारी, स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर उस द्वारा दी गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को निर्मुक्त कर सकेगा ।

9-ख. कर और अधिभार का निर्धारण--

(1) जहां निर्धारण प्राधिकारी का स्वामी की हाजिरी या उस द्वारा किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना समाधान हो जाता है कि किसी अवधि के बारे में दी गई विवरणियां सही और पूर्ण हैं, वहां यह कर या अधिभार की रकम ऐसी विवरणी के आधार पर निर्धारित करेगा ।

(2) जहां निर्धारण प्राधिकारी का, स्वामी की हाजिरी या साक्ष्य को, प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना, समाधान नहीं होता है कि किसी अवधि के बारे में दी गई विवरणियां सही और पूर्ण हैं, वहां वह ऐसे स्वामी पर विहित रीति में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो स्वयं उपस्थित हो कर या किसी साक्ष्य को जिस पर स्वामी ऐसी विवरणी के समर्थन में निर्भर करे, प्रस्तुत करके अथवा प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील करेगा ।

(3) नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर या तत्पश्चात् यथाशीघ्र, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे साक्ष्य सुनने के पश्चात् जो स्वामी प्रस्तुत करे और ऐसे अन्य साक्ष्य जो निर्धारण प्राधिकारी विनिर्दिष्ट बिन्दु पर अपेक्षा करे, स्वामी से देय कर या अधिभार की रकम निर्धारित करेगा ।

(4) यदि कोई स्वामी जिसने किसी अवधि के बारे में विवरणी दे दी है, उप-धारा (2) के अधीन जारी नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर, स्वामी से देय कर या अधिभार की रकम का अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार निर्धारण करेगा ।

(5) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई स्वामी इस अधिनियम के अधीन किसी अवधि के बारे में कर या अधिभार संदत्त करने के लिए दायी है किन्तु वह जानबूझ कर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने या कर अथवा अधिभार संदत्त करने में असफल रहता है, तो उक्त प्राधिकारी, स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, स्वामी से देय कर या अधिभार, यदि कोई हो, की रकम निर्धारित करेगा और यह भी निदेश देगा कि स्वामी न्यूनतम पांच सौ रुपए के अधीन रहते हुए इस प्रकार निर्धारित कर या अधिभार की रकम की पांच गुना से अनधिक राशि शास्ति के रूप में विहित रीति से संदत्त करेगा ।

9-ग. कर और अधिभार का पुन: निर्धारण--

(1) यदि किसी सूचना के परिणामस्वरूप जो उसके कब्जे में आई है निर्धारण प्राधिकारी को, यह पता चलता है कि किसी स्वामी से देय कर या अधिभार अवनिर्धारित किया गया है या निर्धारण से छूट गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी, वर्ष जिसके लिए पुन: निर्धारण होना है की समाप्ति से पांच वर्ष के भीतर किसी भी समय और विहित रीति में सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् संदेय कर या अधिभार का, जो अवनिर्धारित किया

गया है, या निर्धारण से छूट गया है, पुन:निर्धारण करने को अग्रसर हो सकेगा ।

(2) निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय, उस द्वारा पारित किसी आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं अभिलिखित रूप से किसी लेखन या गणित सम्बन्धी गलती का सुधार कर सकेगा ।"

धारा 16 का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 16 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"16. **पुनरीक्षण.**—(1) आयुक्त स्वप्रेरणा से, ऐसी कार्यवाहियों जो उसक अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित या उस द्वारा निपटाई गई हैं या उनमें दिए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने क प्रयोजन के लिए, किन्हीं कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकगा जो वह ठीक समझे ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उप-धारा (1) के अधीन, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे क्षेत्रों में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के बारे में आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां किसी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता, पारित नहीं किया जाएगा ।" ।

धारा 22 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में,—

(i) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(गग) धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन दी जाने वाली विवरणियों और अन्तरालों जिन पर ऐसी विवरणियां दी जाएंगी ;

(गगग) वह रीति जिसमें धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन कर और अधिभार संदत्त किया जाएगा ;"

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(घघ) धारा 9-क की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्याभूति दी जाने की रीति और समय जिसके भीतर तथा रीति जिसमें अपर्याप्त हुई प्रत्याभूति को उस धारा की उप-धारा (4) के अधीन पूरा किया जाना है ;

(घघघ) धारा 9-ख की उप-धारा (2) के अधीन स्वामी पर नोटिस तामील करन के लिए रीति और उस धारा की उप-धारा (5) के अधीन शास्ति क संदाय के लिए रीति ;

(घघघघ) धारा 9-ग की उप-धारा (2) के अधीन कर और अधिभार के पुन: निर्धारण के लिए युक्ति-युक्त अवसर देने के लिए रीति;"और

(iii) खण्ड (त) के अन्त में आए चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह ":" प्रति-स्थापित किया जाएगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजन के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से नियम बना सकेगी ताकि यह प्रथम अक्तूबर, 1990 को या उसके पश्चात् किसी दिन से प्रभावी हो सके :

परन्तु यह और कि जब तक पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकेगी ।" ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।